



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक २]

मंगळवार, फेब्रुवारी २४, २०२६/फाल्गुन ५, शके १९४७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००

असाधारण क्रमांक ३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांकित १८ फ़रवरी २०२६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2026.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC
UNIVERSITIES ACT, 2016.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ सन् २०२६।

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम २०१६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधि अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं

सन् २०१७ जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६
का महा. ६ में अधिकतर संशोधन करने के सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ कहलाए।
(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् २०१७ का
महा. ६ की धारा
१०९ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ की, धारा १०९ की उप-धारा (३) के,— सन् २०१७ का महा. ६।
(१) खण्ड (घ) में विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

“परंतु यह और भी कि, अकादमिक वर्ष २०२६-२७ के लिए राज्य सरकार १५ मार्च २०२६ पर या के पूर्व आशय पत्र अनुदत्त कर सकेगी।” ;

- (२) खण्ड (छ) का द्वितीय परंतुक और सारणी निरसित की जाएगी।

वक्तव्य

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ६) की धारा १०९, नए महाविद्यालय या नए पाठ्यक्रम, विषय, संकाय विभाग या उपग्रह केंद्र शुरू करने की अनुमति माँगने की प्रक्रिया के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा १०९ की उप-धारा (३) का खण्ड (घ) यह उपबंध करता है, कि, विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों में से राज्य सरकार, उक्त धारा १०९ के खण्ड (ग) के अधीन विश्वविद्यालय की सिफारिशों के पश्चात् तत्काल अनुवर्ती वर्ष के ३१ जनवरी को या के पूर्व आशय पत्र अनुदत्त कर सकेगी।

२. स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन के लिए आचार संहिता के कारण सरकार, विहित अवधि के भीतर आशय पत्र देने के लिए समर्थ नहीं थी। इसलिए, सरकार धारा १०९ की उप-धारा (३) का खण्ड (घ) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है, ताकि अकादमिक वर्ष २०२६-२०२७ के लिए नया महाविद्यालय या उच्चतर शिक्षा की संस्था शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आशय पत्र अनुदत्त करने का दिनांक विस्तारित कर सकेगी।

३. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ६) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

दिनांकित १८ फ़रवरी २०२६।

आचार्य देवव्रत,

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,—

बी. वेणूगोपाल रेड्डी,

सरकार के अप्पर मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,

प्रभारी भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।